# कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

## तकनीकि विविदा की शर्ते।

1 निविदा दो प्रकार की होगी, प्रथम तकनीकि एवं द्वितीय वितीय निविदा होगी । दोनों निविदा अलग–अलग लिफाफें में मशीन उपकरण तकनीकि निविदा तथा मशीन उपकरण वितीय निविदा लिखा होना चाहिए ।

2 तकनिकि निविदा में निविदा दाताओं को मशीन उपकरण का विवरण देना अनिवार्य होगा एवं साथ में मशीन उपकरण का विवरणी एम0 एस0 वर्ड 2003 में सी डी राईट कर निविदा के साथ देना अनिवार्य है अन्यथा निविदा रदद कर दिया जायगा।

3 आपुर्तिकर्ता फर्म जो स्वयं मशीन उपकरणों का उत्पादन नहीं करतें है, उन्हें संबधित निर्माता फर्म से अद्योहस्थक्षरी के पदनाम एवं तिथि के साथ प्राप्त प्राधिकार पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4 निर्माता/ आपुर्ति कर्ता को निविदा के साथ बिक्री कर निबंधन प्रमाण पत्र, राज्य के बाहर / राज्य के वैट चुकता प्रमाण पत्र अक्टूवर 2011 तक , पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा । झारखण्ड राज्य के संस्थान / प्रतिष्ठान वैट सिधे जमा कर सकतें हैं परन्तु राज्य के बाहर के आपुर्ति कर्ताओं से वैट की राशि उनके अभिश्रव से कटौती कर अद्योहस्ताक्षरी के स्तर पर जमा की जायगी ।

5 आपुर्तिकर्ता को कम से कम आई एस आई मार्क, आइ एस ओ निर्माता क0 का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।

6 मशीन उपकरण से संबधित कैटलॉग / BROCHURE / अन्य संबंधित अभिलेख जिसमें उक्त सामर्गी का गूणवत्ता अथवा विवरण अंकित हो निविदा में संलग्न होना चाहिए ।

7 आपुर्तिकर्ता को आपुर्ति किये जाने वाले मशीन उपकरणो को तीन वर्ष का वारंटी तथा आपुर्ति कर्ता को ही वार्षिक रख रखाव का कम से कम 5 वर्षो का अनुबंध करना होगा तथा प्रत्येक वित्तिय वर्ष के अनुबंधित राशि का भूगतान उनके कार्यो को देखकर अनुबंधित वित्तिय वर्ष के अन्तिम माह में किया जायगा ।

8 निविदा दाताओं का वार्षिक टर्न ओवर बडे मशीन उपकरणो के लिए निम्नतम रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़ ) मात्र एवं छोटे मशीन उपकरणों के लिए 2500000/– (पच्चीस लाख ) मात्र होने संबंधी प्रमाण पत्र चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत एवं सत्यापित कराकर वर्ष 2010–11 का बैलेंस सीट संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा पिछले तीन वर्षो का आयकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

9 झारखण्ड राज्य के लघू उद्योग को झारखण्ड निति के तहत पाथमिकता दिया जायगा ।

10 झारखण्ड सरकार के लघू उद्योग एवं भारत सरकार के प्रतिष्ठानों को छोडकर निविदा के साथ रूपये 20000/–( बीस हजार मात्र ) का बैंक ड्राफट/ एन0 एस0 सी0 अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञीत कराकर देना अनिवार्य होगा ।

11आपुर्ति कर्ता को नोटरी / मजिस्ट्रेट से प्राप्त शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि उनका / क0 /केन्द्र या राज्य सरकार के किसी एजेन्सी में काली सूची दर्ज नहीं है और सभी प्रकार के आरोप एवं जॉच से मुक्त है ।

12 निर्माता / आपुर्ति कर्ता मशीन उपकरणों के कोटेड दर में मशीन कय दर के अतिरिक्त अध्ष्ठिापन / ट्रांसपोर्ट , सरकार द्वारा निर्धारित लाभांस के साथ ही निविदा दर अंकित कर सकतें है । साथ ही अधिक के लिए निविदा दाता जिम्मेदार होंगें । निविदा में अंकित दर अधिकाय नहीं है का शपथ पत्र देना होगा ।

13 निविदा दाताओं / आपुर्ति कर्ता को जेनेरेटर के लिए उर्जा विभाग झारखण्ड सरकार से अधिक्त विद्युत प्रमाण पत्रघारी होना चाहिए तथा एल0 पी0 जी0 के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का अधिकृत डीलर ही निविदा कोड कर सकतें है ।

14 विपत्र की अग्रिम राशि का भूगतान करने का कोई प्रावधान नही है ।

15 निर्धारित समय में सामानों की आपुर्ति करनी होगी ।

16 निविदा सूची में उल्लेखित कमानुसार निविदा भड़ना होगा एवं विन्दुवार सभी कागज संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा रदद कर दिया जायगा ।

17 कागजातों के जॉचोपरान्त तकनीकि रूप से चयनित एवं मशीन उपकरण के उच्च्व गुणवत्ता वाले निविदा दाताओं का ही वित्तिय निविदा खोली जायगी ।

## वित्तिय निविदा की शर्ते।

1 मशीन उपकरण का दर प्रति ईकाई टैक्स रहित एवं टैक्स सहित देना होगा । वित्तिय निविदा में कटिंग या ओवर राइटींग होने पर निविदा रदद कर दिया जायगा । साथ में वित्तिय निविदा का मोहर बन्द सी0 डी0 एम0 एस0 वर्ड 2003 में सी डी राईट कर निविदा के साथ देना अनिवार्य है।

2 निर्माता आपुर्ति कर्ता मशीन उपकरण के सभी संलग्न उपकरण का दर अलग स अंकित नही करेंगे वल्कि मशीन एवं संलग्न उपकरण का पूर्ण दर निविदा में अंकित करेंगे ।

3 मशीन उपकरण अद्योहस्ताक्षरी क अधिन सदर अस्पताल एवं संबंधित सी0 एच0 सी0 में पहूँचाना होगा इसके लिय अलग से कोई भाड़ा देय नही होगा । साथ ही आापुर्ति किय जाने वाले मशीन उपकरण के अधिष्ठापन विद्युत सामग्री एवं अन्य फिटिंग्स के साथ निविदा प्रस्तूत करेंगे ।

4 आपुर्ति किये जाने वाले मशीन उपकरण का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कराना अनिवार्य होगा ।

5 निविदा पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से रदद करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का सुरक्षित रहेगा तथा किसी तरह का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जमशेदपुर होगा ।

6 आपुर्ति के समय मशीन उपकरण का बैंक गारन्टी तीन प्रतिशत विपत्र के साथ प्रस्तूत करना होगा ।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा

पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।